


फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ~~दुपचाण्ड~~ अधिकारी सिकराय
 सरकार बनाम ~~केशवली~~ / मुधरी
 किरम मुकदमा 5191 मु० नं० 34/22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.2.22	डा० कादियमता रामचण्ड वेल्डोण्ड हास फौज डक्ट कर गलबी सी आवे/ बाबत इन्तजार तामील दि 18.2.22 कोपेश हो	
18.2.22	<p>पनावली पेश। अर्ति 1 व 2 के फॉल होने की तामील रिपोर्ट प्राप्त। स्टेट की तामील प्राप्त। वादी आधीवस्ता का तर्क रहा कि परिवारीगण 1 व 2 के कोई वारिस सिकराय में मौजूद व निवासरत नहीं हैं। बहस दावा सुनी गयी। वादीगण की खतेशरी भूमी खता सं. 39 पर स्थित है जो परिवारीगण के नाम रहन दर्ज है।</p> <p>राजस्थान सशक्तकारी आधी के प्रावधानों अनुसार निजी व्याक्ति द्वारा खतेशरी भूमी पर रहन आधिकारम 15 वर्ष तक ही रख सकता है।</p> <p>पश्नगत भूमी पर रहन की उम्त अवाधी व्यंतीत हुये वर्षों हो चुके हैं।</p> <p>अतः ग्राम सिकराय के खता सं. 39 पर रहन निरस्त करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिये जाते हैं।</p> <p>मुताबिक आदेश डिडी व तहसीर जारी होकर पनावली फौजल शुमार हो।</p> <p style="text-align: right;">  (राजकीय सिद्धि) 18.2.22 </p>	